अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 250(अ).— जबकि आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 22 नवम्बर,1994 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 839 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अर्पण ट्रस्ट, 2 पूनम, 160, आर0 बी0 मेहता मार्ग, घाटकोपर (पूर्व) मुम्बई-400077 द्वारा घाटकोपर (पूर्व) मुम्बई में अर्पण आई बैंक चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1995-1996 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 12 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 17 मार्च,1997 की अधिसूचना सं0सां आ0 212 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 21 सितम्बर,2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 855 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था,और जिसे बाद में दिनांक 30 अक्तूबर,2003 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1254 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 855 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 4.56 लाख रूपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रूपये कर दिया गया था और दिनांक 30 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1254 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 7.5 लाख रूपये से बढ़ाकर 13.50 लाख रूपये कर दिया गया था ।

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के बारह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ङ के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए और परियोजना लागत को "13.50 लाख रूपये" से बढ़ाकर 27.00 लाख रु0 संशोधित करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) अर्पण ट्रस्ट, 2 पूनम, 160, आर0 बी0 मेहता मार्ग, घाटकोपर (पूर्व) मुम्बई-400077 द्वारा घाटकोपर (पूर्व) मुम्बई में चलाई जा रही अर्पण आई बैंक चलाने की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से आरम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ;

(ख) दिनांक 22 नवम्बर,1994 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 839 (अ0) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 12 के सामने, धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि संबंधी कॉलम (4) में अक्षर, अंक तथा शब्द " 13.50 लाख रूपये " के लिए " 27.00 लाख रु0 " अक्षर, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 49/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डी. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)